फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तुलसीराम
बनाम
विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 62/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 10.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थी के खातेदारी साबिक आराजी संख्या 208 किता 1 रकबा 17 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खातेदार प्यारचन्द पिता काना जी ब्राह्मण निवासी पाणुन्द का 1/12 हिस्सा संपूर्ण क्रय कर कब्जा प्राप्त कर नामान्तकरण संख्या 672 दिनांक 29.01.2013 के जरिये उक्त कृषि भूमि में से 1/12वां हिस्सा प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से अंकित रही है। यह कि हाल ही में हुए नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के सीमांकन के लिये दिनांक 17.06.2024 को जमाबंदी की नकल चाही गई जिस पर प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि इस प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 में वर्णित साबिक आराजी न. 208 रकबा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के नाम 1/12 वें हिस्से से दर्ज थी तथा उक्त कृषि भूमि नवीन खसरा न. 536 रकबा 0.1900 है. में भी प्रार्थी के नाम 1/12 हिस्से से ही अंकित होने चाहिये थी परन्तु नवीन खसरा न. 536 रकबा 0. 1900 है. भूमि में सेहवन से विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 1/12 हिस्से से अंकित कर दी जबकि उक्त भूमि पर मौके पर मुझ प्रार्थी 1/12 हिस्से पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के संयुक्त हक हिस्से आधिपत्य की कृषि भूमि नवीन खसरा न. 536 में प्रार्थी के नाम पर उक्त भूमि 1/12 वें हिस्से से दर्ज होनी चाहिये थी जिसे सेहवन से विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/12 वें [illegible] दर्ज कर दी गई जिसके शुद्धिकरण कर प्रार्थी के नाम पर 1/[illegible] हिस्से से दर्ज [illegible]राया जाने एवं उक्त खाते में से विपक्षी संख्या 2 का नाम हटाये ज[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट [illegible]स्तुत की गई जिसमें [illegible] कि राजस्व ग्राम पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द की गत जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता

संख्या 181 पर दर्ज आराजी संख्या 208 रकबा 0.17 बीघा किस्म मगरी द्वितीय 06 खातेदार तुलसीराम पिता पन्नालाल 1/12 जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम संख्या 672 फैसल दिनांक 25.01.2013 से दर्ज रेकर्ड हुई। यह कि गत आराजी रकबा 0.17 बीघा के भू-प्रबन्धन के बाद नए आराजी नं. 536 रकबा 0.19 है। यह कि सेग्रीकेशन के दौरान आराजी न. 536 रकबा 0.19 है. की भूमि में क्रेता तुलसीराम पिता पन्नालाल 1/12 जाति ब्राह्मण दर्ज नहीं होकर नामान्तरण का अमल ऑनलाइन जमाबन्दी में नही किया जाकर पुनः विक्रेता प्यारचन्द 1/12 जाति ब्राह्मण का नाम दर्ज कर दिया गया। यह कि जमाबंदी संवत 2 की खाता संख्या 105 पर दर्ज विक्रेता खातेदार प्यारचंद पिता कन्ना 1/12 भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25.10.21 से अपनी पुत्री दोली बाई पुत्री 1/12 जाति ब्राह्मण के नाम दान कर दिया। जिसका अमल नामान्तरण फैसल दिनांक 17.10.2023 से राजस्व रेकर्ड में भूमि दान ग्रहिता दोली बाई पुत्री के नाम दर्ज कर दी गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि गत आराजी रकबा 0.17 बीघा भूमि के हाल आराजी नं. 536 रकबा 0.19 है. भूमि सेग्रीकेशन क्रेता तुलसीराम पिता पन्नालाल 1/12 ब्राह्मण के नाम दर्ज की जानी चाहिए सहवन से पुनः विक्रेता प्यारचंद पिता कन्ना के नाम दर्ज कर दी गई जो जरि दोली बाई पुत्री प्यारचंद के नाम दर्ज हो गई। वर्तमान में क्रेता तुलसीराम द्वा गई भूमि पर पत्थर की कोट बना रखी है एवं तुलसीराम पिता पन्नालाल ब्र उक्त क्रयशुदा भूमि पर काबिज है।

प्रकरण में हमने पाया कि साबिक आराजी न. 208 में से 1/12 हिस्सा प्यारचन्द पिता काना ब्राह्मण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री तुलसी पन्नालाल ब्राह्मण को विक्रय किया जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र से जिसका नामान्तरण संख्या 672 पारित होकर साबिक आराजी न. 208 का 1/1 प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ जो नामान्तरण संख्या 672 से स्पष्ट है। नवीन सेटलमेंट साबिक आराजी न. 208 के नये आराजी न. 536 बने जो मिलान खसरा से तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के समय क्रयशुदा भूमि साबिक आराजी न. 208 जिसके नवीन सेटलमेंट के बाद नये आ 536 बने जो मिलान खसरे से स्पष्ट है। उक्त भूमि को सेग्रीकेशन के दौरान आ 536 रकबा 0.19 है. की भूमि में क्रेता का नाम तुलसीराम पिता पन्नालाल 1/ ब्राह्मण दर्ज नहीं होकर नामान्तरण संख्या 672 का अमल ऑनलाइन जमाबन्दी किया जाकर पुनः विक्रेता प्यारचन्द पिता कन्ना 1/12 जाति ब्राह्मण का नाम दिया गया। यह कि जमाबंदी संवत से 81 की खाता संख्या 105 पर दर्ज खातेदार प्यारचंद पिता कन्ना 1/12 द्वारा अपनी भूमि जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र 25.10.21 से अपनी पुत्री दोली बाई पुत्री प्यारचन्द 1/12 जाति ब्राह्मण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested

दिया। जिसका अमल नामान्तरण संख्या 93 फैसल दिनांक 17.10.2023 से राजस्व रेकर्ड में भूमि दान ग्रहिता दोली बाई पुत्री प्यारचन्द के नाम दर्ज कर दी गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि गत आराजी न. 208 रकबा 0.17 बीघा भूमि के हाल आराजी नं. 536 रकबा 0.19 है. भूमि सेटीकेशन के दौरान क्रेता तुलसीराम पिता पन्नालाल 1/12 ब्राह्मण के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी किन्तु सहवन से पुनः विक्रेता प्यारचंद पिता कन्ना के नाम दर्ज कर दी गई जो जरिये दान से दोली बाई पुत्री प्यारचंद के नाम दर्ज हो गई। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित रहें।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी को प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं कर पुर्व खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई जिससे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 105 की आराजी न. 536 किता 1 रकबा 0.1900 है. भूमि में दोली बाई पुत्री प्यारचन्द हिस्सा 1/12 जाति ब्राह्मण के बजाय प्रार्थी श्री तुलसीराम पिता पन्नालाल ब्राह्मण हिस्सा 1/12 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:41 IST
Reason: SelfAttested